International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 03, July - September, 2020, pp.365-370

उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के विकास पर मॉड्यूल शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन

संगीता आर्य*

प्रस्तावना

मानव जाति को अपनी प्रतिभा एवं गरिमा बनाए रखने के लिए प्रकृति द्वारा कुछ सुविधाएँ व साधन उपलब्ध हैं। जब इन साधनों एवं सुविधाओं को राज्य, समाज एवं समस्त मानव जाति द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है तो ये अधिकारों का रूप ग्रहण कर लेते हैं, इन्हीं अधिकारों को मानवाधिकार का नाम दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए विध्वंसकारी प्रभावों के कारण विश्व के राष्ट्रों ने मानव गरिमा, बन्धुत्व, सहयोग तथा सौहादपूर्ण वातावरण के लिए 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को जन्म दिया। मानवाधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं, अभिसमयों, घोषणाओं तथा संधियों में प्रतिबिंबित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के संविधानों, अधिनियमों और न्यायपालिकाओं के न्याय के वितरणात्मक विनिश्चयों में समाहित किया गया। इन मानवाधिकारों की जानकारी जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए मानवाधिकार शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

वैश्विक घटनाक्रमों को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि आरम्भ से लेकर आज तक मानवाधिकारों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। जिससें वर्तमान में आतंकवाद, अलगाववाद, अराजकता, अत्याचार, शोषण आदि बढ़ रहे है। इन्हे खत्म करने तथा विश्व में शान्ति, स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना, मानव गरिमा, बन्धुत्व, सहयोग एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाये रखने के लिए मानवाधिकार शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा द्वारा मानवाधिकारों की अवधारणाओं, सिद्धान्तों, संस्कृति, सभ्यता, परम्पराओं आदि को आने वाली पीढ़ियों में इस प्रकार हस्तान्तरित किया जा सकता है जिससे साधारण मनुष्य को इसका ज्ञान हो सके। शिक्षा वह साधन जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थियों में मानवाधिकारों की कितनी जानकारी है ? उनको किस प्रकार की सामान्य जानकारी देने की आवश्यकता है ? शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही वह अपने अधिकारों के साथ-साथ समाज के अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देकर श्रेष्ठ समाज की स्थापना कर सकता है।

समस्या का औचित्य

मानवाधिकारों की आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास कर सकें। मानवाधिकारों के विकास के लिए विद्यार्थियों को मानवाधिकार शिक्षा दी जानी चाहिए। यह शिक्षा विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर से ही जानी चाहिए। शिक्षा के पाठ्यक्रम की जटिलता को दूर करने के लिए शिक्षक नवाचार की विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग करते हैं। इन तकनीकियों में से मॉड्यूल तकनीकी का प्रयोग करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में

[6] शोद्यार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

मानवाधिकारों के ज्ञान का विकास सहज रूप से किया जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के विकास पर मॉड्यूल शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन पर अभी तक शोधकर्त्री की दृष्टि में कोई शोध कार्य नही हुआ। यह कार्य विश्व शान्ति, स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना, मानव गरिमा, बन्धुत्व, सहयोग एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिए अति फलदायी होगा। अतः प्रस्तुत अध्ययन सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है।

समस्या कथन

''उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के विकास पर मॉड्यूल शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन।''

शोध के उद्देश्य

- उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि तथा मॉड्यूल द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकार विकास का अध्ययन करना।
- उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि तथा मॉड्यूल द्वारा शिक्षण के माध्यम से विद्यालय विभिन्नता के आधार पर मानवाधिकार विकास का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

- उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि तथा मॉड्यूल शिक्षण विधि के पश्चात् मानवाधिकार विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
- सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकार के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
- सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मॉड्यूल द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकार के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण

- **मानवाधिकार–** ''प्राकृतिक अधिकार ही मानव अधिकार है।''
- **मानवाधिकार शिक्षा** – मानवाधिकार शिक्षा से तात्पर्य मानवाधिकारों का ज्ञान, समझ, जागरूकता एवं कौशल का विकास करना है।
- **उच्च प्राथमिक विद्यालय–** औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति हेतु गठित संस्थान, जहाँ कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है, उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है।
- **मॉड्यूल** – मॉड्यूल एक ऐसी रूप रेखा या प्रारूप होता है जो सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को एक दिशा–निर्देश प्रदान करता है। यह नवाचार की विभिन्न तकनीकियों में से एक शिक्षण विधि है। जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि में हम **क्या, क्यों और कैसे** को ध्यान में रख कर शिक्षण में सुधार करने के लिए प्रयास करते है। यह पाठ्यक्रम की इकाई पर काम करने का तरीका है।

शोध का परिसीमन

- प्रस्तुत शोध कार्य जयपुर श्हर तक ही सीमित रखा गया है।
- प्रस्तुत शोध कार्य राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हिन्दी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों तक सीमित रखा गया है।
- प्रस्तुत शोध कार्य सरकारी व निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के कक्षा–7 के विद्यार्थियों तक सीमित रखा गया है।
- प्रस्तुत शोध कार्य में मॉड्यूल द्वारा मानवाधिकारों के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है।
- प्रस्तुत शोध कार्य में केवल विद्यालयों में नियमित रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

शोध विधि– प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्री द्वारा प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि का चयन किया गया है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त चर

- **स्वतंत्र चर** – व्याख्यान शिक्षण विधि, मॉड्यूल शिक्षण विधि
- **आश्रित चर –** मानवाधिकार विकास

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त न्यादर्श

प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श हेतु 120 विद्यार्थियों को लिया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

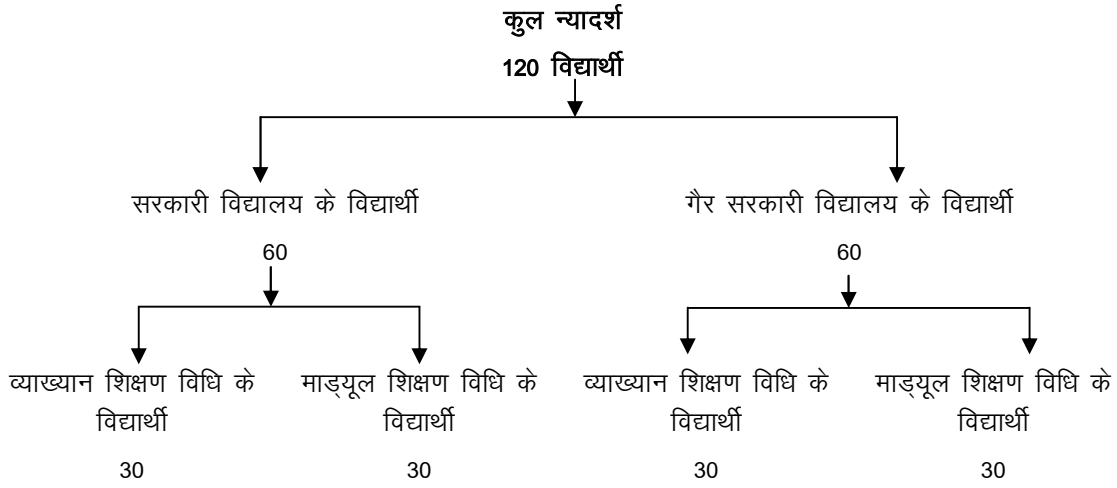

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त उपकरण

- मानवाधिकार विकास मापनी– स्वनिर्मित
- बुद्धि लब्धि परीक्षण– डॉ. पी. श्रीनिवासन द्वारा निर्मित (2000)
- सामाजिक आर्थिक स्तर मापनी – सुनील कुमार उपाध्याय एवं अल्का सक्सैना द्वारा निर्मित (SESS-BR Hindi Version 2008)

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत अध्ययन में मध्यमान, प्रमाप विचलन, टी–मूल्य एवं एनोवा परीक्षण सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या

परिकल्पना 1– उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि तथा मॉड्यूल शिक्षण विधि के पश्चात् मानवाधिकार के विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका 1

स्मूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	टी–अनुपात (t)	स्वीकृत / अस्वीकृत
परम्परागत विधि के विद्यार्थी	60	55.75	10.09	6.66	दोनों स्तर पर अस्वीकृत
मॉड्यूल विधि के विद्यार्थी	60	65.28	4.50		

0.05 स्तर पर टी–मान = 1.98

स्वतंत्रता के अंश = 118

0.01 स्तर पर टी–मान = 2.62

तालिका संख्या 4.13 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परम्परागत विधि शिक्षण के पश्चात् उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानवाधिकार के विकास का मध्यमान 55.75 एवं मानक विचलन 10.09 है तथा मॉड्यूल विधि शिक्षण के पश्चात् उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों मानवाधिकार के विकास का मध्यमान 65.28 एवं मानक विचलन 4.50 है। स्वतंत्रता के अंश 118 पर टी का मूल्य 6.66 प्राप्त हुआ जो 0.05 एवं 0.01 स्तर पर तालिका मान 1.98 एवं 2.62 से अधिक है। अतः परिकल्पना ''उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि तथा मॉड्यूल शिक्षण विधि के पश्चात् मानवाधिकार के विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है'' अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 2– सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकार के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका.2

स्मूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	टी–अनुपात (t)	स्वीकृत / अस्वीकृत
सरकारी विद्यालय के परम्परागत विधि के विद्यार्थी	30	56.30	10.69	0.42	दोनों स्तर पर स्वीकृत
निजी विद्यालय के परम्परागत विधि के विद्यार्थी	30	55.20	9.61		

0.05 स्तर पर टी–मान = 2.00
स्वतंत्रता के अंश = 58
0.01 स्तर पर टी–मान = 2.66

तालिका संख्या 4.25 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परम्परागत विधि शिक्षण के पश्चात् सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानवाधिकार के विकास का मध्यमान 56.30 एवं मानक विचलन 10.69 है तथा परम्परागत विधि के पश्चात् निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानवाधिकार के विकास का मध्यमान 55.20 एवं मानक विचलन 9.61 है। स्वतंत्रता के अंश 58 पर टी का मूल्य 0.42 प्राप्त हुआ जो 0.05 एवं 0.01 स्तर पर तालिका मान 2.00 एवं 2.66 से कम है। अतः परिकल्पना ''सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकार के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है'' स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 3– सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में माड्यूल द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकार के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 3

सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में माड्यूल द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकार के विकास के प्राप्तांकों के टी–मान की गणना

स्मूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	टी–अनुपात (t)	स्वीकृत / अस्वीकृत
सरकारी विद्यालय के माड्यूल विधि के विद्यार्थी	30	66.13	4.09	1.48	दोनों स्तर पर स्वीकृत
निजी विद्यालय के माड्यूल विधि के विद्यार्थी	30	64.43	4.80		

0.05 स्तर पर टी–मान = 2.00
स्वतंत्रता के अंश = 58
0.01 स्तर पर टी–मान = 2.66

तालिका संख्या 4.26 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माड्यूल विधि शिक्षण के पश्चात् सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानवाधिकार के विकास का मध्यमान 66.13 एवं मानक विचलन 4.09 है तथा माड्यूल शिक्षण विधि के पश्चात् निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानवाधिकार के विकास का मध्यमान 64.43 एवं मानक विचलन 4.80 है। स्वतंत्रता के अंश 58 पर टी का मूल्य 1.48 प्राप्त हुआ जो 0.05 एवं 0.01 स्तर पर तालिका मान 2.00 एवं 2.66 से कम है। अतः परिकल्पना ''सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में माड्यूल विधि द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकार के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है'' स्वीकृत की जाती है।

शोध से प्राप्त निष्कर्ष

- उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि तथा मॉड्यूल शिक्षण विधि के पश्चात् मानवाधिकार विकास में सार्थक अन्तर पाया गया।

निष्कर्षत

परम्परागत विधि की अपेक्षा मॉड्यूल द्वारा शिक्षण का विद्यार्थियों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिससे उनमें मानवाधिकारों का विकास तीव्र गति से होता है। क्योंकि मॉड्यूल विधि द्वारा शिक्षण से विद्यार्थी कक्षा में मूक श्रोता न बनकर सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते है जिससे उन्हें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के विभिन्न अनुच्छेदों (अनुच्छेद 01 से अनुच्छेद 30) के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिससे विद्यार्थी गरिमा पूर्ण जीवन जीने के साथ–साथ, अपने तथा दूसरों के प्रति हुए अत्याचार के विरूद्ध सक्षम न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के अधिकार के प्रति अधिक जागरूक हुए।

- सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकार के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

निष्कर्षत

सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में परम्परागत विधि द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकारों का विकास समान रूप से होता है।

- सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मॉड्यूल द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकार के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

निष्कर्षत

सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मॉड्यूल द्वारा शिक्षण के पश्चात् मानवाधिकारों का विकास समान रूप से होता है।

शैक्षिक निहितार्थ

- प्रस्तुत शोध के माध्यम से नीति–निर्माताओं द्वारा शिक्षण अधिगम को नवाचारी व रोचक बनाने के लिए प्रयास किया जा सकेगा तथा वे शिक्षा में मॉड्यूल शिक्षण विधि के प्रभाव को देखते हुए सम्मिलित करने का प्रयास कर सकेंगे। साथ ही बालकों में मानवाधिकार के विकास के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अन्य गतिविधियों का संचालन सम्बन्धी नीतियों का निर्माण कर सकेगें।
- प्रस्तुत शोध के माध्यम से विद्यालय प्रशासकों को विभिन्न शिक्षण विधियों की उपयोगिता का पता चल सकेगा तथा वे अपने विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि द्वारा शिक्षण कार्य करवाने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करने के साथ–साथ सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का प्रयत्न कर सकेगें। बाल अधिकार सम्बन्धी मानवाधिकारों के विकास हेतु प्रयत्न कर सकेंगे।

- प्रस्तुत शोध के माध्यम से शिक्षक यह पता लगा सकेंगे कि बालकों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होगा जिससे बालक शीघ्रता से अधिगम कर सकें। अतः शिक्षक मॉड्यूल शिक्षण को अपने शिक्षण का अभिन्न अंग बना सकेगें। शिक्षक ऐसी शिक्षण विधियों का निर्माण कर सकेंगे जिसमें बालकों की सहभागिता हो तथा बालकों को करके सिखने के अवसर प्रदान हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अरोड़ा रीटा (2005) : ''शिक्षा में नव चिन्तन'', जयपुर, शिक्षा प्रकाशन ।
- चतुर्वेदी सतीश, (2002), ''मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्रसंघ जयपुर, पोईन्टर पब्लिशर्स, व्यास
- बिल्डिंग ।
- कपिल, एच. के. (2012) : अनुसंधान की विधियाँ, कचहरी घाट, आगरा, एच.पी. भार्गव बुक हाऊस।
- बिसवाल, तपन, (2009) : ''मानवाधिकार जेंडर एवं पर्यावरण,'' नई दिल्ली, विद्या बुक्स ।
- सैनी, रामसिंह (2007) : ''समाकालीन परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के विविध आयाम'', भाग–1,
- दिल्ली, गगनदीप पब्लिकेशन, मौजपुर ।
- शर्मा, माताप्रसाद (2010) : ''मानवाधिकार एवं शिक्षा'', जयपुर, अपोलो प्रकाशन ।
- http://www.shodhganga.com
- http://www. researchgate.net.
- http://scholar.goole.com
- http://.ericscholar.google.com.

❖◆❖